रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062020-219834 CG-DL-E-09062020-219834

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1614] No. 1614] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2020/ज्येष्ठ 19, 1942

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2020/JYAISHTHA 19, 1942

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2020

का.आ.1797(अ).-केंद्र सरकार, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तु पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 20 दिसंबर, 2019 के का. आ. 4578 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश की प्रस्तावना के पैरा-4 में, '30 जून, 2020 तक' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर " 30 सितम्बर, 2020 तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

> [फा.सं. 9/1/2019-पटसन] संजय शरन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) में का. आ. सं. 4578 (अ), दिनांक 20 दिसंबर, 2019 द्वारा प्राकशित किया गया था |

2469 GI/2020 (1)

MINISTRY OF TEXTILES ORDER

New Delhi, the 8th June, 2020

S.O. 1797(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Textiles, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-Section (ii) vide number S.O. 4578(E), dated the 20th December, 2019, namely:-

In the said Order, in the Preamble, in paragraph 4, for the words, figures and letters "up to 30th June, 2020", the words, figures and letters "up to 30th September, 2020 or until further orders, whichever is earlier" shall be substituted.

[F. No. 9/1/2019-Jute]

SANJAY SHARAN, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* Number S.O. 4578(E), dated the 20th December, 2020.